



# निर्माण IAS

**Give the best ... Take the best**

**Head Office : 12, Mall Road, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9.  
Class Room : 624, 11nd Floor, Main Road Mukherjee Nagar, Near Agarwal Sweets, Delhi-9  
Ph.: 011-47058219, 9990765484, 9891327521**

परीक्षार्थी का नाम / Name of the Candidate : Sakshi Gang

रोल नं०/ Roll No. : ..... 158 .....

विषय/ Subject : ..... Governance (अधिकारासन).....

टॉपिक / Topic : .....

टेस्ट संख्या / Test No. : 03

दिनांक / Date of Examination : 02 / 12 / 2015

प्रयुक्त कापियों की संख्या / No. of Copies used :

Four empty rectangular boxes arranged horizontally, intended for the student to write their answers.

**परीक्षार्थी के हस्ताक्षर**  
**Signature of the Candidate**

निरीक्षक के हस्ताक्षर  
Signature of the Invigilator

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कृत न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)

Ans - 1 'सूचना' का अधिकार द्वी सरकार को जनता के प्रति उल्लङ्घणी बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। यह लोकतंत्र को 'भागीदारी लोकतंत्र' में परिवर्तित करता है अर्थात् इसे माध्यम से लोकतंत्र का लोकतान्त्रिकरण होता है। भारत में 2005 में इसे साझा किया गया है। जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को द्वारा मांगी गयी सूचना का प्रेषण 30 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि वह सूचना विसी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो 48 घण्टे के अन्दर वह किसी तीसों पास से सम्बन्धित है तो 40 दिन की सम्पत्ति मिर्दाहि की गयी है।

सूचना मांगने वाले व्यक्ति को 10 रु. सूक्ष्म चेक/शास्त्र यांत्रिकीय लेनदेनी के लिए देना होगा तथा CD, ड्रॉप में सूचना प्राप्त करने हेतु लम्बाई 50 किमी व इसके अतिपूर्ण का खावधान किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर विनम्र होने पर 250 रु. शुति दिन व अधिकतम 25000 रु. जुर्माना लगेगा। साथ ही 30 दिन के भीतर सूचना जा मिलेन पर उच्च चक्र में विभाग के अधिकारी के पास अर्पण होतानान्तर द्वारा जारी होती है।

भारतीय समाज में जनता के शिक्षित व जागरूक होने के कारण अधिकारियों पर उचित दबाव नहीं बना पाती तथा प्रदल विधायक की स्वत्रिपा, कल्पकिता, आक्रियाशिलता, आंकड़ों के संग्रह की प्रशानी वावस्था, सूचना तक पहुंच बनाने में जावेहा उत्तम करती है। भारतीय संविधानिक दर्जा नहीं मिला है यह जाति कानूनी दर्जा रखता है साथ ही

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कुछ न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)



अपवादस्वरूप न्यायपालिका, जैसे संस्थान बाहर रखे गए हैं।

ऑपनिविशिक समाज की चबीआ रही घृष्णचर सेवा आचरण अद्वितीय, इसकी शक्ति में बहुत उत्सुक करते हैं।

प्रधापि हाल में न्यायपालिका

ज्ञान 6 शब्दनीतिक दलों को इसके दायें में लापा गया है जो एक प्रशंसनीय प्रयास है।

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कृत न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)



nirmal IAS

Ques-2 शुद्ध, रणनीति, अत्याचार के अभाव में समाजता, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, सहार्द की भावना के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का विकास ही अन्तर्राष्ट्रीय नीतिकी ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नीतिकी ता के अन्तर्गत

शर्ट्टीय हित को बढ़ावा न देकर अन्तर्राष्ट्रीय हित मान्य होता है। पर्यावरण, प्रशुषण, आतंकवाद जैसी वैशिवक समस्याओं का समाधान परस्पर विचार - विमर्श के आधार पर किया जाता है। यह वह साध्यम है जिसकी सहायता से वैशिवक व्याप्ति का मार्ग प्रशास्त होता है। धर्म, जाति, संस्कृति में ऐकीकरण की भावना भाने के साथ - साथ उल्लंघन व दर्शन के देशों के बीच परस्पर सहार्द निर्मित होता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे - UNO, UN इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आज के वैशिवीकरण युग में विज्ञानी जैसे कमजोर देशों पर दबुल स्पायित कर रहे हैं जिसका प्रत्यरुद्धारण - ~~कर्तव्य~~ उत्सर्जन में देखा जा सकता। अतः विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संघीय / संगठन / कानून के माध्यम से वहाँ जागृत कर नीतिक लाभप्रद बनायी जा सकती है। जैसे - पंचशिंबि समझौता जो देश व चीन के बीच एक विशाल का महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है।

मैं अन्तर्र पापा जाता हूँ, बड़े देश द्वारा करते हैं जैसे - हाल ही में USA द्वारा UNH के मना करने पर भी इशारे पर हमला किया गया।

परस्पर किसी भी सामुहिक

व वैशिवक स्पास द्वारा को सम्पूर्ण राष्ट्रों पर लागू कर

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कृत न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)



**NIRMAL IAS**  
One Day One... That's the Best

**NIRMAL IAS**  
One Day One... That's the Best

वैश्विक शान्ति का मार्ग प्रगति किए जा सकता है।

Ans - 3 विद्यायिका छारा निर्मित सामाजिक नियन्त्रण की बाध्यकारी व अपेक्षाकृत व्यवस्था का कानून है, जिसका उल्लंघन पष्टनीय होता है। भृत्य अनु०-१५ के तहत विधि का शासन लागू करने के लात्यू० अनु०-३॥ अर्नविरोध की स्थिति उत्पन्न करता है।

भारतीय संविधान में अनु०-१५ के तहत 'कानून के समर्प समानता' के 'कानून का समान संशण' का सिफारिश लागू है। सभी व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय का हो यह समान रूप से लागू होता है।

परन्तु दूसरीओर

संविधान में वर्णित अनु०-३॥ देश के कुछ माननीय पर्वों जैसे - राष्ट्रपति, संसद आदि को विशेष छूट प्रदान करता है। राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई मुकदमा नहीं दबापा जा सकता।

- कार्यपाद से सम्बन्धित किसी निषिद्ध की वैधता के बाहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

- किसी भी संसद पर स्थान सत के दौरान गिरफतारी नहीं की जा सकती। साथ ही निषादित सम्पादित पूर्व नोटिस दिनी होती है।

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कृत न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)

इस तरह के दिश गर छूटों से संविद्वान में वर्तीत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राजनीतिज्ञों द्वारा पढ़के छुरुषपोर्ट कर उनके समर्थों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही उल्लंघनिल के सिद्धान्त के विपरीत है।

अतः इस अनुच्छेद

पर सुना विचार कर वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आगे वार्षिक रिपोर्ट में भी अनु०-३॥ को तर्कसंगत बनाने की बात कही गयी है।

62



**nism IAS**

Off the book - Not the book



Ans-4 नियमों का बहु वस्तु मूद जो किसी विशेषीकृत विभावा के भरकरी, कर्मचारियों को अनुशासित रखने हेतु, उनके आचार व्यवहार के सम्बन्ध सरकार द्वारा बनाया जाता है, आचार संहिता है।

वर्तमान वैश्वीकरण युग में बहु रही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अविवाह के समाजान हेतु प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो रही है। गठबन्धन की राजनीति के चर्चा निष्प-निर्माण की प्रतिपा प्रभावित हो रही है, जिस कारण प्रशासन को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ रही है। देश में बढ़ती 'प्रदल विघ्नापन' की प्रतिपा के कारण नेतागण स्वयं नीति निर्माण में जुर्माना लगाए रहे हैं। भर्ती व्यवहार में प्रशासन नीति कार्पन्क्यन के साथ-साथ नीति निर्माण का भी लापूर्ण हो रहा है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को किंजी छुट्टा प्रशासन में आचार संहिता की अत्यन्त भूमिका युक्त होती है, ताकि प्रशासन अपनी सामन्तवादी प्रवृत्ति स्थोड़ देश, समाज, जनता व स्वयं के प्रति से दायित्वों का लक्षात्मापूर्वक निर्वाचित हो।

इस प्रशासनिक स्तर पर नयी आचार संहिता बागू की गती है। अधिक भारतीय सेवाओं हेतु नई आचार संहिता-१००५ में १९ द्वावधान किए गए हैं, जिसके द्वारा प्रशासन को अनता अधिक उत्तरदायी, पारदृष्टि, अवालंबित बनाया जा सके।

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कुछ न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)

Ques-5 'निष्पत्ता एक कानूनी प्रक्रिया नहीं अनिवार्य आपित्

प्राकृतिक न्याय है जिसमें सामाजिक दायित्व के आधार पर पूर्वानुष्ठान से सुकृत होकर निर्णय देने की आशा की जाती है।' अस्ति भारतीय समाज की पारमित्रक राजनीति, तथा भारतीय धार्मिक परिवर्तियों के कारण इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारतीय समाज एक पारमित्रक

समाज है जो हां प्रशासक एवं समाज का अनुचित दबाव पड़ता है जो उसे भ्रष्टाचार लगा देता है ऐसा करता है, साथ ही प्रशासकीय उस्तानान्तरण की पूर्ण प्रक्रिया ५२ सरकारी निपन्त्रण में होती है। जिस कारण प्रशासक की गतिविधियों शज्जीतिक हितों की सूति करने में लगी होती है। अस्ति भार्ति तर्कान वैश्वीकरण सुग में बढ़ रही उपभोक्तावाही प्रवृत्ति भी इसका एक महत्वपूर्ण लारल माना जाता है। जिसकी वज्र से शासन, प्रशासन में निष्पत्ता अपरिहार्य हो गयी है।

प्रशासन सरकार इसके माध्यम से सरकारी नीति, योजनाओं की जनता लक्षित घट्ट बनायी जा सकती है जिसमें जनता का शासन-प्रशासन में विवाद व भारीदारी बढ़ेगी। देश का राजत्व बढ़ेगा साथ ही इन सभी अतिव्याप्ति से प्रभाव देश के विकास पर व हमारी अन्तर्राष्ट्रीय साझा पर बढ़ेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में सरकार

द्वारा १०१५ में आयिव भारतीय सेवाओं द्वारा आचार संस्थित।

62



**nirmal IAS**



लागू करे की बात कही है। साथ ही RTI, लोकपाल विकास परिषद का कानूनों द्वारा इसमें आरुषार होगा। जिससे सरकार की 'मेक इन डिफिया', सोपुअर डिफिया, समाविशी किसान जैसी अवधारणाओं को भी बल मिलेगा।

Ans - 6) 'विधायिका द्वारा निर्मित सामाजिक निपत्ति की वजह से वाधकारी, औपचारिक व्यवस्था ही कानून है।' इसका ठबेधन पड़नीय होता है।


सामाजिक गतिविधियों, भारतीयता के लिए वाहिनी तत्वों, अन्वादी अधिकारों पर अकुंशा लगाने का यह ऐसा औपचारिक माध्यम है। इसकी उपर्युक्ता से सबल वर्ग से विवेक तर्ज की रक्षा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत विद्या का शास्त्र लागू किया गया है। जिसके द्वारा सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को बिना नियम भेदभाव के अधिकार व सुरक्षा की प्राप्ति दी जाती है तथा समाज में स्थापित बनोने में पहले भूमिका निभाता है।

कानून विधायिका द्वारा निर्मित तथा सरकारी संस्थानों से सम्बन्ध होता है। अबकी नियम तकिया

# U.P.S.C.

इस भाग में  
कृत न लिखें  
(Don't write  
anything in  
this part)

विधिप्रिका व कार्यकालिका द्वारा निर्मित  
तथा सरकारी व मिजी द्वारा से  
सम्बन्धित होते हैं। साथ ही  
नियम व विधिमय का उल्लेखन  
दर्शनीय नहीं होता अर्थात् इनके  
उल्लेखन की व्यापारिक में दुर्जी नहीं हो जा सकती।



सत्ता द्वारा बनाए गए सार्वभाषिक व्यवस्था हैं जबकि  
इस कानून व्यवस्था द्वारा से लागू करने हेतु बनाए  
गए तत्व नियम, विधिमय हैं। अर्थात् कानून के  
अन्तर्गत नियम व विधिमय के अन्तर्गत विधिमय की  
अवधारणा मिहित होती है। कानून & नियम & विधिमय

6v

यहाँ तक दूसरी  
दृष्टि से 3 नियम हैं,  
जिनमें से एक विधिमय  
है और दूसरे दो नियम हैं।



Ans - 4] जागरिक दौषिणा पर वह माध्यम हैं जिसे

द्वारा शासन / प्रशासन को जनता के अधिगति के लिए उत्तीर्णीकृत तथा प्रतिबद्ध लगाया जाता है। ~~जागरिक दौषिणा~~ २०१२ में मंत्रिमंडल

द्वारा मंजूरी दिए जाने के बावजूद यह विद्युतक  
कानून के न्यून सरर पर लागू नहीं हो सका। इसके अन्तर्गत  
जागरिकों को शास्त्र होने वाली सेवा की घासित को स्थानिक  
करने की बात कही गयी है। साथ ही जागरिकों को  
भमन्त्य, सौदार्दिपुणि व्यवहार के साथ सेवा घटन की  
आए, विकल्प की व्यवस्था हो, समाज आदि समाजान्वय  
तत्त्व स्थापित जिस जाने का भी व्यवहार समिक्षित है।

कुछ तकनीकी कमिटी

कारण भारत में यह पर केन्द्र लेन पर लागू नहीं हो  
पा रहा है। सर्वेंदामिक रूप से लेखें तो कानून, स्वास्थ्य  
अंसु विषय राज्य द्वची में बारिश, बन, पर्यावरण के  
विषय समर्वती द्वची में ऐ गर्य है जिसके कारण के न्यू  
व राज्य के बीच अन्तर्विशेष उत्पन्न हो रहा है। उल्लेखनीय  
है कि कुछ राज्यों द्वारा यह कानून परिवर्तन से बना लिया  
गया है जिसके जो केन्द्र द्वारा किसी कानून से मिल नहीं  
जाता अतः राज्यों के विशेष का सामना करना पड़ रहा  
है। साप ही बदल विद्युत की घृणिता, इच्छा शक्ति की  
कमी जैसे कारण भी व्यवहार उत्पन्न कर रहे हैं।

Qn-8 शासन प्रशासन क्षारा शार्वजगिक पदों का विवरण देते हुए करना ही 'भष्टाचार' है। इसके अन्तर्गत भाई भतीजा वाले, आक्षिपादीलता, जमाखोड़ी जैसे तल आते हैं।

वर्तमान वैश्वीकरण द्वारा में बहु रही उष्णभौक्तावाद प्रवृत्ति, शामाजिक, आर्थिक अस्थापित्य, नैतिकता की कमी, व युर्ति के सापेक्ष सांग में बहु भष्टाचार को बढ़ावा दें रही हैं जिसके कारण व्याप्त कानून अप्राप्तिगत होते प्रतीत हो रहे हैं। जिससे शासन प्रशासन में नैतिक मूर्यों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

शासन / प्रशासन में बहु रही अक्षिपादीलता, इच्छा शक्ति की कमी को नैतिकता के आधार पर और सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि नैतिकता को लागू कर शासकों को मनोर्ध्वजाग्रिक रूप से बाह्य किया जा सकता है जैतिकता मात्र भष्टाचार उन्मुक्त नहीं अपितु समग्र जीवन हीली व मानसिकता में परिवर्तन करती है। इसके बहु आयामी प्रभाव है शासक / प्रशासन की शामाजिक कल्पाण हेतु बाह्य किया जा सकता है

इसकी धार्जकिता को देखते हुए ही श्रितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में प्रशासनिक स्तर पर आचार संहिता लागू करने की बात लक्षी गयी है। साथ ही २०१५ में भारत सरकार द्वारा आजिक आतीय सेवाओं हेतु आचार संहिता लागू की गयी है।